



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 15 जनवरी, 2020 ई0
पौष 25, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 15/XXXVI (3)/2020/69(1)/2019
देहरादून, 15 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019’ पर दिनांक 13 जनवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 02 वर्ष, 2020 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2019
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 की उपधारा (4) को विलोपित किया जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति 3. (1) उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश 2019, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

“उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019” अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है। पूर्व में “उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2019” प्रख्यापित किया गया था।

2— प्रस्तावित विधेयक “उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2019” का प्रतिस्थानी विधेयक है और उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।